न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 520/2023 निर्णय दिनांक :–28.11.2023

उनवानी प्रार्थना पत्र:–

1. सोमलता सिंह पत्नी श्री अजय पाल सिंह उम्र 42 वर्ष जाति जाटव निवासी 10–क्यू–4 न्यू पटेल नगर, चन्द्रशेखर आजाद नगर के पास भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा राज0 –प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार महोदय देवली जिला टोंक (राज.) –अप्रार्थी–

उपस्थिति:–

श्री धर्मराज गुर्जर
अधिवक्ता प्रार्थीगण

तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम करवाये जाने पत्थरगढी बाबत

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के कब्जेकाश्त की खातेदारी की भूमि खाता संख्या 412 खसरा नम्बर 560 रकबा 0.61 है0 भूमि वाके ग्राम मूंडयाखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीया का निरन्तर कब्जाकाश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि के सीमा चिन्ह मिट चुके है तथा सीमाएं अस्पष्ट हो गई है जिसके कारण मोके पर प्रार्थीया के पडोसी काश्तकारो ने नाजायज रूप से प्रार्थीया की भूमि को अपनी भूमि में मिलाने पर आमादा है जिसके कारण प्रार्थीया अपनी खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात की पत्थरगढी करवाना चाहती है। प्रार्थीया नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत श्रीमान तहसीलदार देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है:– हां, आवेदक पडोसी खातेदारो सीमा विवाद है। हां, उक्त आराजी आवेदक की खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है एवं कब्जाकाश्त है। हां, आवेदक का जिन खातदारो से सीमा विवाद है

को पक्षकार नही बनाया है। उक्त आराजी पर उक्त खातेदार का ही कब्जाकाश्त । उक्त आराजी के सम्बन्ध में किसी न्यायालय से स्थगन नही है । आवेदक की खातेदारी भूमि की सीमाओं पर अतिकमीत राजकीय भूमि नहीं है। पूर्व में सीमाज्ञान नही हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार देवली को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबन्दी सम्वत 2072–75 में अंकित खाता संख्या 412 खसरा नम्बर 560 रकबा 0.61 है0, भूमि वाके ग्राम मूंडयाखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान की पत्थरगढी की जावे। प्रार्थीगण का कब्जा नहीं होने की स्थिति में आराजीयात का सीमाज्ञान कर प्रार्थीया को उक्त विवादित आराजी भूमि की सीमाओ से अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner